कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)–492002

Phone No.- 0771-2972780, Fax No.- 2972782,

Website- https://vyapam.cgstate.gov.in

क्रमांक/व्यापम/2023/ 4581 रायपुर, दिनांक 11/9/23

प्रेस विज्ञप्ति

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षक (परिसीमित सीधी भर्ती) भर्ती परीक्षा (MBS23) 2023 के मॉडल उत्तर जारी करने के सम्बंध में

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./एफ–639III/3051/स्था–02/म.बा.वि./2023–24/दिनांक 28. 06.2023 एवं पत्र क्र./एफ–639III/3255/स्था–02/म.बा.वि./2023–24/दिनांक 05.07.2023 तथा उप संचालक, महिला एवं बाल विकास, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) द्वारा पत्र क्र./एफ–639III /4396/स्था–02/म.बा.वि./2023–24 दिनांक 02.08.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दिनांक **27.08. 2023** को पर्यवेक्षक (परिसीमित सीधी भर्ती) भर्ती परीक्षा **(MBS23)** का आयोजन अपरान्ह 2.00 बजे से 4.15 बजे तक किया गया था ।

उपरोक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर व्यापम की वेबसाइट **vyapam.cgstate.gov.in** पर दिनांक **11-09-2023** को प्रदर्शित किया जा रहा है । अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं । अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा–आपत्ति **14-09-2023,** रात्रि **11.59** बजे तक अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावा–आपत्ति टैब में जाकर दावा–आपत्ति दर्ज करा सकते हैं । **डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा–आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा ।**

पोर्टल पर दावा–आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड डालकर प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा–आपत्ति दर्ज करानी होगी । दावा–आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है । कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें । दावा–आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् पोर्टल पर प्राप्त दावा–आपत्ति स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा–आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा–आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा–आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य होगा ।

कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर